69
Zone-'O'

दिल्ली विकास प्राधिकरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना –2021 की समीक्षा

Master Plan Review–2021

पंजीकरण फार्म
REGISTRATION FORM

"ओपन हाउस मीट्स"

"OPEN HOUSE MEETS"

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए Form to be filled by Participant	
नाम Name	रामलाल गोस्वामी
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	R.W.A आवासीय जन कल्याण समिति रजि.
वर्तमान स्थिति Present Position	O/R President
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	9717819860 9711188159 OFFICE OF THE DIR (Plg.) MPR/TC, D.D.A.,N. DELHI-2 Dy.No....3680 Dated....30/5/12
फैक्स : Fax :	N-A
ई–मेल E-mail	N-A
पता : Address :	2/12 लखपत कालोनी पार्ट II मीठापुर बदरपुर 44
हस्ताक्षर : Signature :	Ramlal
तिथि : Date :	29.12.2012

"अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं"

"Submit your registration form at the venue of Open House meets."

69

जन कल्याण

आवासिय जनकल्याण समिति (रजि)

म.न. 3, गली न, 2, लखपत कालोनी पार्ट 2, बदरपुर, नई दिल्ली 110044
9717819860 / 9711188159

दिनॉक. 29/5/2012

निदेशक (योजना) एम पी आर
दिल्ली विकास प्राधिकरण
नई दिल्ली।

विषयः मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लखपत कालोनी पार्ट 2 को ओ जोन (Zone O) से हटा कर एफ जोन (Zone F) में डाले जाने हेतु निवेदन।

महोदय,

आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी कालोनी लखपत कालोनी पार्ट 2, मीठापुर विस्तार, विघान सभा क्षेत्र बदरपुर, दिल्ली सरकार की 1639 अनाधिकृत कालोनियों की सूची में कमांक सख्या 226 तथा रजिस्ट्रेशन नम्बर 240 पर सूचीवद्ध है। तथा दिल्ली सरकार के अनाधिकृत कालोनी सेल के डिप्टी सेकेट्री द्वारा दिनांक 7/2/2011 को विकास कार्य के लिए जारी 733 कालोनियों की सूची में हमारी कालोनी का कमांक संख्या 128 तथा रजिस्ट्रेशन नम्बर 240 पर अंकित है। दिल्ली विकास प्रधिकरण के द्वारा तैयार व लागू किया गया मास्टर प्लान 2021 में हमारी कालोनी को जोन ओ (Zone O) में रखा गया है, जो कि सरासर गलत है। जोन ओ (Zone O) यमुना नदी का अग्रभाग/यमुना बैंड या यमुना नदी की धारा से दोनो ओर 300 मीटर के क्षेत्र मे आ रहे इलाके को ही माना गया है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर पारित आदेशो के अनुरूप है।

हमारी कालोनी लखपत कालोनी पार्ट 2, 1639 की सूची में कमांक संख्या 226 रजिस्ट्रेशन नम्बर 240 यमुना नदी से 8 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर है, हम लोग यमुना नदी के किनारे या अग्रभाग पर नही बैठे है। हमारी कालोनी के बाद साईं नगर, हरिजन बस्ती, गगन विहार, मोलडबन्द सीनियर सेकेण्डरी (सरकारी स्कूल) है तथा उसके बाद हरियणा के गॉव बसन्तपुर, इस्मायलपुर, अगवानपुर, सेतपुर व हरियाणा की कुछ कालोनियॉ भी आती है और उससे भी आगे यमुना नदी बहती है।

जनकल्याण समिति (रजि०) लखपत-कालोनी-II, नई दिल्ली-44

331

जन

कल्याण

आवासिय जनकल्याण समिति (रजि)

म.न. 3, गली न, 2, लखपत कालोनी पार्ट 2, बदरपुर, नई दिल्ली 110044
9717819860 / 9711188159

महोदय, जब कि गीता कालोनी, लक्ष्मी नगर, शकरपुर, जैसी यमुना नदी के किनारे की कालोनियों को ओ जोन में नही रखा गया, जो यमुना नदी से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर बसी हुई है, जामिया जैसी केन्द्रिय युनिवर्सिटी तथा अम्बेडकर इन्स्टिट्यूट आफ टैक्नोलॉजी जैसे स'स्थान भी यमुना से 500 से 700 मीटर की दूरी पर स्थित है! तो फिर हमारे साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जा रहा है ?

महोदय, अतः आप से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारी कालोनी को भी ओ जोन की श्रेणी से बाहर किया जाय। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे।

धन्यवाद।

कृते आवासिय जनकल्याण समिति

राम लाल गोस्वामी
अध्यक्ष

प्रतिलिपि:

श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली
श्री राम सिंह नेता जी माननीय विधायक, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र

332